[Shri Bhupesh Gupta.]

We would like to know as to what is happening. Is it the policy of the Government to allow our warship to salute the Queen? Do they do it when similar things happen here in this country? We have got the birthdays of Pandit Nehru and Dr. Rajendra Prasad. We have got the birthday of Mahatma Gandhi and very many others. Do the British do such things there? Why should the Government do it? Please convey the deep sentiments of the House that such things should not be done when the other party does not show any concern for us.

SHRI SANTOSH KUMAR BASU (West Bengal): Sir, we would like to know as to what is happening here. The hon. Member started by saying that something is happening. We should like to know as to what is happening. We have not followed him at all.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am sorry Mr. Basu . . .

THE VICE-CHAIRMAN (PANDIT S. S. N. TANKHA): The hon. Member has had some information . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: From the P.T.I.

THE VICE-CHAIRMAN (PANDIT S. S. N. TANKHA): . . . from the P.T.I. and therefore is rather disturbed.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is there in the Central Hall.

SHRI SANTOSH KUMAR BASU: What is the information?

THE VICE-CHAIRMAN (PANDIT S. S. N. TANKHA): The information is about the Flagship, INS *MYSORE*, having given a salute.

SHRI BHUPESH GUPTA: A twenty-one gun salute on the Queen's birthday.

SHRI R. S. DOOGAR (West Bengal): It is nothing unusual.

SHRIMATI T. NALLAMUTHU RAMAMURTI (Madras): Is action to be taken on the report of the P.T.I.?

THE VICE-CHAIRMAN (PANDIT S. S. N. TANKHA): I think it will be appropriate for the hon. Member to put a Short Notice Question.

SHRI BHUPESH GUPTA: Yes, I am going to. Our days of this session are numbered. I will be glad if you will convey it. I think I am expressing the national sentiment.

SHRI SATYA CHARAN (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, as a matter of fact, we do not understand what transpired in the House just now.

THE COLOURING OF VANASPATI BILL, 1959—*Continued*.

श्री दयाल दास कुर्रे : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राउंडनट प्रोडक्शन के बारे में आप से निवेदन कर रहा था कि भारतवर्ष के पूरे दक्षिणी भाग में इसकी पैदाइश होती है। इसी प्रकार वनस्पति घी से सम्बन्धित यह काटन सीड भी है। इस का उपयोग डालडा बनाने में बहुत होता है। इस के तेल की पैदाइश भी साल में कोई एक लाख पचास हजार टन होती है। ग्राउंडनट और काटन सीड से तेल निकालने के बाद खली की पैदाइश कोई १२ लाख टन होती है। इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी पैदाइश इस डालडा प्रोडक्शन के कारण हमारे देश को होती है। इस से सरकार को वर्ष में कोई १,००० लाख रुपये की टैक्स के जरिये आमदनी है। मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि जब हम डालडा प्रोडक्शन को कलरिंग दे कर, कंज्यूमर्स को उस से कोसों दूर रख

कर, इस प्रोडक्शन को अवनति की दिशा में लायेंगे, तो इस से केवल उस के प्रोड्यूसर्स ही एफक्टेड नहीं होंगे, साथ ही साथ भारतवर्ष के जिन भागों में इस से सम्बन्धित चीजों को पैदा करने वाले किसान हैं, उन पर भी असर पड़ेगा और जहां एक बड़ी रकम टैक्स के रूप में सरकार को आमदनी होती है, वह चली जायगी, वहां किसानों के ऊपर बड़ा ही बुरा असर पड़ेगा और वे उन चीजों की पैदाइश नहीं करेंगे और इस का परिणाम यह होगा कि ये उत्पत्तियां हम से दूर होती जायेंगी । इसलिये मेरा सरकार से यह निवेदन है कि यदि हम इन चीजों को दृष्टि में रखते हुए डालडा की कलरिंग करने की रीति पर जो हम जा रहे हैं, उस पर विचार करें कि इतना बड़ा व्यापार जो हमारे देश का इस समय डालडा प्रोडक्शन के ऊपर आधारित है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा । दूसरी तरफ हम शुद्ध घी के व्यापार को देखें जिस के कारण डालडा को रंग दे कर दूसरे रूप में बदला जा रहा है । यदि हम ने इस को एक तरफ रखा, जैसाकि इस बिल के मूवर महोदय ने कहा कि इस से देश के घी के व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, हमें शुद्ध घी नहीं मिल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस प्रदेश से आ रहा हूं, वहां मैं ने देखा कि ऐसे घी का कोई व्यापार हमें दीखता नहीं कि जिस से घी तैयार किया जाता है, दूध जरूर होता है । मैं इस पर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मुझे घी तैयार करने वाले एक एक्सपर्ट महोदय से बातचीत करने का मौका मिला । उन से मैं ने पूछा, साहब बताइये कि एक सेर घी कितने दूध से तैयार होता है ? उन्हों ने बताया कि १७ सेर दूध लगता है । तो १७ सेर प्योर मिल्क की कीमत हम एक रुपये प्रति सेर के भाव से कहें तो इस में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि एक सेर शुद्ध घी के लिये हमें १७ रुपये खर्च करने पड़ेंगे । यह तो दूध की कीमत हुई । घी बनाने के लिये जो हम दही बनाते हैं और दही से घी तैयार होता है तो उस मेहनत को भी लगा लीजिये । इस प्रकार हम देखें तो यूं ही लोगों को शुद्ध दूध पीने को नहीं मिलता है, उस का अभाव है । घी बनाने का जब हमें समय ही नहीं मिलता, दूध का उतना हमारे पास स्टाक नहीं है, फिर हम किस बुनियाद पर कहें कि घी का एक बड़ा व्यापार हमें मिलने वाला है और उस के स्थान पर एक बड़ा व्यापार जो सरकार के सामने है, उसे हम सदैव के लिये तिलांजलि देने जा रहे हैं । इसलिये इन दोनों दृष्टियों से, इन दोनों विचारधाराओं से हम देखें तो हमें बड़ी गहराई से विचार करना पड़ेगा और जैसाकि मैं ने सुझाया है. वनस्पति घी की कलरिंग का इतना बड़ा असर जब हमारे देश के व्यापार के ऊपर पड़ रहा है तो हमें कैसे आगे कदम उठाना होगा । सदन से मेरा यह अनुरोध है, यह निवेदन है कि यह छोटी मोटी बात नहीं है । इस स्कीम के फेल होने के बाद हमारी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना आने वाली है, उस के ऊपर भी इस का बहुत बड़ा असर पड़ेगा । मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस का असर क्या होगा, वनस्पति घी का भाग्य आगे कैसा रहेगा, यह केवल हमारे विचार के ऊपर आधारित है । मैं यहां पर वेरिफाई नहीं करूंगा कि मैं किस ओर जा रहा हूं । मेरी इतनी बातों का यह निष्कर्ष निलकता है कि मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे जो साथी हैं और इस विषय के विचारक हैं, वे विचार करेंगे कि इस व्यापार के अन्दर क्या होगा और सरकार की आमदनी पर इस का क्या असर पड़ेगा । धन्यवाद ।

श्री देवकीनन्दन नारायण : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ सुनने के बाद मुझे यह प्रतीत हुआ कि इस विधेयक पर जिस दृष्टि से विचार करना चाहिये, उस दृष्टि से विचार नहीं हो रहा है । बिल पेश करने वाले मेरे भाई जुगल किशोर जी का जो उद्देश्य है, वह तो साफ आब्जेक्ट्स

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

में दिया हुआ है । उद्देश्य बहुत सीमित है । आज जो अडल्ट्रेशन वनस्पति घी के कारण हो रहा है उस को रोका जाये । आप जानते हैं कि वनस्पति को रंग देने की आवश्यकता हमारी सरकार ने मान ली है । यदि मुझे ठीक तरह से याद है, तो कुछ ही महीने हुए हैं कि जब हमारे माननीय मंत्री जी, जो यहां पर बैठे है, उन्हों ने यह कहा था कि हम इस के लिये शोध कर रहे हैं और हम इस आवश्यकता को प्रतीत करते हैं, परन्तु क्या किया जाये, अभी तक ठीक तरह का रंग नहीं मिल रहा है । १९४७ से यह शोध हो रही है । इस सम्बन्ध में सब से पहली कांफ्रेंस १९४८ के जून या अगस्त के महीने में सरकार की ओर से हुई थी, जिसके अध्यक्ष उस समय के माननीय ऐग्रीकल्चर मंत्री और हमारे सदन के आज के सदस्य माननीय जयरामदास जी थे । उस कान्फ्रेंस मे अध्यक्ष महोदय यानी माननीय जयरामदास जी ने यह कहा था :

"The Government did not want to take any action without considering the question in its various aspects. Discussions therefore would be continued to listening of the points of view of both the sides so that the Government may be in possession of all the facts and figures to enable them to arrive at a final decision."

यह १२ वर्ष पहले की बात है । आगे कलरिंग वगैरह की ओर उन्हों ने निर्देश किया :

"It has been suggested that before taking any other action at least the risk of adulteration and the risk of people looking upon vanaspati as ghee should be reduced to the minimum."

"It is this practical aspect of the question that the Government is particularly interested in at the present moment."

इस बात को १२ वर्ष हो गये और १२ वर्ष शोध करते हुए भी हमारी सरकार को कोई ऐसा रंग कहीं से प्राप्त नहीं हुआ कि जिस का उपयोग वनस्पति को रंग देने में कर सकते । हर साल यह सवाल खड़ा किया जाता है, कांफ्रेंसेज़ होती हैं, मुझे डर है कि सरकार की जितनी तवज्जह इस काम की ओर देनी थी और देनी चाहिये, उतनी नहीं दी गई और न दी जा रही है, नहीं तो यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो १२ वर्षों में पूरी न हो पाती । अब हालत यह है कि १९४८ में जो सरकार की राय थी वह बहुत से कारणों से आज बदल गई है । आज यहां पंडित जवाहर लाल जी का नाम लिया जाता है, और भी मिनिस्टरों का नाम लिया जाता है, परन्तु मैं आप से कहूंगा कि जो वादा आप ने १९४८ मे किया आज तक आप उसे क्यों नहीं पूरा कर सके ? मैं जानना चाहता हूं कि आज तक आप ने कौन सी कोशिशें की, कौन कौन से प्रयत्न किये, क्यों कामयाबी नहीं हुई, किन किन को लिखा, क्या क्या किया ? दूसरी बात मैं आप से यह जानना चाहूंगा कि आप वेजिटेबिल आयल और वनस्पति मे क्या फर्क करते हैं । वेजिटेबिल आयल या रिफाइण्ड आयल, जिसे हाइड्रोजनेशन से पहले आप आयल के रूप में देखते हैं, उस में और इस वनस्पति में आप क्या फर्क करते हैं, यह मैं आप से जानना चाहता हूं । रिफाइण्ड आयल कहिये या वेजिटेबिल आयल कहिये जो कोल्हू का होता है या मिल का होता है, उस के खाने से और वनस्पति के खाने से कौन सा लाभ होता है और कौन नुकसान होता है । मैं ने कई किताबें पढ़ीं और मेरे सामने कई किताबें मौजूद है, मैं ने आज तक कहीं यह नहीं लिखा देखा और न आज तक मैं ने किसी डाक्टर से यह सुना कि इस वनस्पति के खाने से कोई खास अधिक लाभ होता है । शुद्ध तेल से कौन सी अच्छी बातें वनस्पति मे होती हैं । तो फिर आप क्यों इतनी कोशिश करते हैं, आप यह क्यों चाहते हैं कि इस वनस्पति घी को . . . .

SHRI SANTOSH KUMAR BASU: There are, in addition, vitamins; Vitamin A . . .

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: Yes; I am coming to that. There are more vitamins in refined oil itself and that too before hydrogenation. Whatever you say, they are in existence in the refined oil. That is what I am saying.

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हमें यह बतलाइयेगा कि आप वनस्पति को रिफाइन तेल की जगह क्यों पसन्द करते है । उस के दो कारण बतलाये जाते हैं । एक कारण यह है कि 'वनस्पति' बनिस्पत तेल से ज्यादा टिकता है । दूसरा कारण यह बतलाया जाता है कि उसके लाने-ले जाने में सहूलियत होती है । माफ कीजिये, टिकने का सवाल तो हिन्दुस्तान में पैदा ही नहीं होना चाहिये क्योंकि आपकी न्युट्रिशन एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हर एक मनुष्य को दो औंस फैट मिलना चाहिये और हिन्दुस्तान में आज वह हर एक को एक तिहाई औंस मिलता है । ऐसी हालत में टिकने का सवाल पैदा ही नहीं होता । यहां रोज का तेल रोज ही मिलता रहे और आज से तिगुना मिलता रहे, तब भी कोई टिकने का सवाल पैदा नहीं होता ।

SHRI SONUSING DHANSHING PATIL: Who will have the wherewithal to purchase? Where is the purchasing power?

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: Where is the question of purchasing power here? Vanaspati is not going to give you purchasing power. This question of purchasing power does not arise at all.

तो मैं यह कह रहा था कि टिकने का सवाल पैदा नही होता । जो ट्रान्सपोर्ट की बात कही जाती है तो ट्रांसपोर्ट क्या इस तेल के लिये ही नुकसानदेह है ? क्या आज लाखों टन तेल का ट्रांसपोर्ट आप देश के इस कोने से उस कोने तक नहीं कर रहे हैं ? क्या आप रॉक आयल केरोसीन आयल, डीज़ेल आयल और पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्ट एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं करते हैं ? उसमें कौन सा आपको नुकसान पहुंचता है ? अगर ऐसा है तो फिर खाने के तेल को ही एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिये क्यों आप उसे हाईड्रोजिनेटेड करते हैं जिससे न हैल्थ को फायदा होता है और न पैसे का ही फायदा होता है । रिफाइन्ड आयल से या आर्डिनरी वेजिटेबिल आयल से हाइड्रोजिनेटेड वनस्पति का आज ६०, ७० टका ज्यादा भाव ही है । यदि तेल डे रुपया सेर मिलता है तो हाइड्रोजिनेटेड आयल, वनस्पति घी ढाई रुपये सेर मिलता है । मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस लाभ के लिये ग्राहक से एक रुपया सेर अधिक लेते हैं । कौन लाभ आप किसानों या गरीबों को या शहरवालों को या कहिये हर एक को इस से पहुंचाते हैं ?

SHRI MAHESWAR NAIK: Because it is called ghee?

श्री देवकीनन्दन नारायण : तो आप धोका देते हैं । अभी मेरे मित्र ने इसका जवाब दे दिया कि आप घी का रूप दे कर के लोगों को धोका देते हैं तेल की कीमत से एक रुपया फी सेर उन से अधिक लेते हैं । तो इससे आप कोन सा फायदा जनता का करते हैं, यह मैं आप से पूछना चाहूंगा । यदि आप यह कह दें कि तेल से, रिफाइंड आयल से वनस्पति घी ज्यादा फायदा पहुंचाता है तब तो मैं आपकी बात सुन भी लूं परन्तु वह बात तो है नहीं । तो फिर क्यों इस तरह से गरीबों को, मध्यम श्रेणी की जनता को एक रुपया फी सेर ज्यादा देना पड़े सिर्फ इसलिये कि यह जमाया हुआ है ? यह मेरे ख्याल से उचित नहीं है और हिन्दुस्तान की गरीबी की हालत में यह गरीबों के साथ और जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है ।

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

अभी मेरे भाई ने ग्राउंडनट की बात कही। मेरे पास १९५३-५४ की फिगर्स हैं। १९५३-५४ में ८ लाख ४७ हजार टन ग्राउंडनट ग्रायल हिन्दुस्तान में पैदा हुआ। अधिकतर हिन्दुस्तान में ग्राउंडनट ग्रायल ही खाया जाता है। इसमें से ४ लाख २८ हजार टन खाने के लिये बेचा गया और २ लाख १४ हजार टन हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति के लिये दिया गया। मैं आपसे पूछता हूं कि जब हिन्दुस्तान की जनता को एक तिहाई औंस तेल भी नहीं मिलता है तब २ लाख १४ हजार टन को सिर्फ जमा कर डेढ़ गुने दाम पर क्यों बेचा जाता है? इससे जनता को लाभ हुआ या नुकसान? दूसरे इस तरह से जो चीज़ घर में घर के नजदीक में मिल सकती है उसको दूर से क्यों मंगाते हैं? खेतों में मूंगफली पैदा होती है, तिल पैदा होता है और गांवों में हो तेल बन सकता है। यदि गांवों में नहीं बन सका तो नजदीक के कस्बों में बन सकता है। मेरे जिले में शायद ही ऐसा कोई कस्बा होगा जहां कि ग्रायल फैक्ट्री नहीं है। परन्तु वनस्पति घी की मिलें बहुत बड़े शहरों में होती हैं और वहां से यहां वनस्पति घी आता है और यहां से वहां जाता है। जब हमें घर के नजदीक से तेल मिल सकता है तब मेरी समझ में नहीं आता कि आप वनस्पति घी को क्यों तरक्की दे रहे हैं जिससे कि किसानों को नुकसान पहुंचता है।

अब रही एडलट्रेशन की बात। उसको यहां कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां हर एक वक्ता ने इस एडलट्रेशन की जो बुराई आज सारे हिन्दुस्तान में फैल गई है, उसको मान लिया है। हर एक ने मान लिया है कि एडलट्रेशन काफी है। मैं आपसे कहता हूं कि इतना एडलट्रेशन है कि जिन गांवों में भ्रष्टाचार और अनाचार की भावना नहीं थी वहां भी फैल गई है यह भावना। भ्रष्टाचार और अनाचार की भावना गांव गांव में फैल गई है। मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। मेरे यहां पहले यह तरीका था कि लोग गांवों से छोटी छोटी मिट्टी की हांडियों में घी बेचने के लिये शहर में लाते थे लेकिन अब क्या है? अब भी लाते हैं परन्तु अब शहर से डालडा मोल ले जाते हैं और उसको उसमें मिक्स करके लाते हैं। अब भी घी हांडी में, मिट्टी के बर्तन में बेचने को लाते हैं ताकि दुनिया यह समझे कि वे घी बेचने आये हैं न कि डालडा मिश्रित कर के और कोई चीज लाये हैं। इस तरह से घर घर में गांव गांव में मिलावट की जा रही है। मैं तो अपनी आंखों से देखता हूं। काफी दुकानें ऐसी खुल गई हैं जहां कि घी में डालडा मिक्स किया जाता है और कहीं कहीं दूध में भी उसको मिलाया जाता है और इस तरह से लाखों रुपया धोखे से पैदा किया जा रहा है। इस धोखे से आप जनता को बचाना नहीं चाहते हैं, इसी का मुझे दुःख है।

SHRI MAHESWAR NAIK: Does the hon. Member suggest that ghee is not going to be adulterated if hydrogenated oil is colourised?

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: You will be able to recognise it, if it is mixed with pure ghee. Because today it is white in colour, it is mixed with ghee. If it is coloured, it will not be mixed with ghee.

SHRI MAHESWAR NAIK: Does the hon. Member wish to indicate that if vanaspati is colourised there will be no other material available for adulterating ghee?

श्री देवकीनन्दन नारायण: बात यह है कि मेरे सामने तो अभी वनस्पति घी के द्वारा किये गये एडलट्रेशन का सवाल है। आप दुनिया भर के सारे सवाल इसी वक्त लायें तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मगर हर एक सवाल का जवाब हो सकता है। आज सदन के सामने जो बिल है उसके सम्बन्ध में मुझे जो कुछ कहना है वह कह लेने दीजिये।

श्री किशोरी राम: (बिहार) : जरूर कहिये।

श्री देवकीनन्दन नारायण : बसु साहब ने कहा कि डालडा पैदा होने से पहले चर्बी मिलाई जाती थी। तो यह तो कोई सबब नहीं हो सकता कि अब इसलिये डालडा पैदा किया जाय कि वह चर्बी की जगह मिलाया जा सके क्योंकि चर्बी इससे भी बुरी चीज है। मैं यह मानता हूं कि चर्बी बुरी चीज है परन्तु डालडा भी बुरा है और दोनों को जाने दीजिये। मैं यह नहीं कहता कि एक बन्द हो और दूसरा रहे। मेरा इतना ही कहना है कि आज तक जो कलराइजेशन का सवाल तय नहीं हो पाया है उसका कारण सरकार मात्र है और सरकार से भी ज्यादा सरकार के पीछे के इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जो कि बनस्पति घी में लाखों करोड़ों रुपया पैदा कर रहे हैं।

अभी हैल्थ का सवाल यहां उठाया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन हुए दो महीने के करीब हुए, बनस्पति प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन की एनुअल मीटिंग हुई जिसमें उसके चेयरमैन ने कहा कि साहब, फोरन कंट्रीज में और हिन्दुस्तान में अब हमारे खिलाफ यह बात कही जा रही है कि डालडा खाने से हार्ट डिजीज होती है। यानी चेयरमैन साहब को यह दहशत पैदा हो गई है कि अब इस तरह की कांट्रोवर्सी पैदा हो रही है और यह अखबारों में निकल रहा है और इससे हमें धक्का पहुंचेगा। उन्होंने अपनी तकरीर में यही बतलाया कि नहीं साहब, यह बात हो नहीं सकती, हार्ट डिजीज इससे हो नहीं सकती। हालांकि चेयरमैन साहब डाक्टर नहीं थे। तो कहने का मतलब यह है कि यह सवाल भी पैदा हो गया है। मैं डाक्टर नहीं हूं, मैं यह नहीं कह सकता कि हार्ट डिजीज पैदा होती है या नहीं, परन्तु डाक्टरों की यह राय है कि इसके खाने से हार्ट डिजीज पैदा होती है। सब डाक्टरों की यह राय न हो, लेकिन काफी डाक्टरों की है और यह चीज प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन के चेयरमैन के कान तक पहुंच गई है। इससे आप समझ लें और आप सोचें कि यह बात कहां तक सच हो सकती है।

अब यह कहा जाता है कि आप बनस्पति को एकदम बैन ही क्यों नहीं कर देते। यह बात ऐसी है कि आप किसी काम को पूरा नहीं कर सकते तो फिर चार आना काम भी न करिये। तो यह कहना व्यवहार्य नहीं है। जब मैं किसी काम को १६ आने नहीं कर सकता हूं और उसका चार आना ही कर सकता हूं तो मुझे चार आना ही काम करने दीजिये। इसलिये जब सरकार इसको कलर दे सकती है और यह देना सम्भव है तो ऐसा ही करने दीजिये। हम यह सुझा सकते हैं कि कौन सा कलर दिया जाय। श्री सतीश चन्द्र दास गुप्ता जो कि खादी प्रतिष्ठान के प्रमुख है उन्होंने कई बार कहा है और लिखा है और आज भी उनका यह दावा है कि अगर सरकार चाहती है तो मैं इस तरह के रंग का सुझाव दे सकता हूं बतला सकता हूं परन्तु बातों में ही कई वर्ष गुजर गये। इधर से उधर पत्र जाते हैं लेकिन प्रत्यक्ष में इस मामले को गहराई से सोचा नहीं जाता है हालांकि सरकार इसको मानती है कि एडलट्रेशन बहुत होता है और इसका क्लरिंग होना चाहिये। यह भी मानती है कि इसकी आवश्यकता है और यह बहुत जरूरी है।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को अब जनता की आवाज सुननी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के स्वतन्त्र होने के बाद जिन देसी राज्यों में इसकी मुमानियत थी वहां भी आपके पुण्य प्रताप से यह डालडा पहुंच गया है। राजस्थान के कई राज्यों में १९४८ तक डालडा का जाना बन्द था और उसके बाद भी जब राजस्थान का एक राज्य के रूप में निर्माण हुआ, दो वर्ष तक जब तक कि हमारा कांस्टीट्यूशन तैयार नहीं हुआ था, राजस्थान की कई स्टेट्स में, जयपुर स्टेट में और खास कर जोधपुर स्टेट

[श्री देवकी नन्दन नारायण]

में इसकी मुमानियत थी क्योंकि वहां के राजा और प्रजा एक मत के थे कि इससे प्रजा को बहुत नुकसान होता है और इसको अपने राज्य में नही आने देना चाहिये। परन्तु अब हम राजा बन गये और जो हम भली चीज समझते हैं वहां भी हमने पहुंचा दी और घर घर पहुंच गई, और पहुंचाये जा रहे हैं। इसलिये मेरा कहना है कि आज लोकमत को देखियेगा। हिन्दुस्तान में कांफ्रेन्सेज होती हैं, हिन्दुस्तान मे हर जगह आवाज उठाई जाती है कि इसको या तो बन्द कर दिया जाय और यदि आप बन्द नहीं करते हैं, आपसे बन्द नहीं होता है, आपको मुलाहिजा है भागवानों का, कैपिटलिस्टों का, तो आप मेहरबानी करके उसको रंग दे दें ताकि लोग धोखा न खायें। मैं यह नहीं कहता कि घी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उससे इस बिल का कोई संबंध नहीं है। संबंध यह है कि जनता को धोका न पहुंचे। आज शुद्ध घी नहीं मिल रहा है। इसलिये धोखे से मिसरी की जगह कांच खा लूं या रसगुल्ले की जगह बरफ खा लूं क्योंकि दोनों का रंग एक सा होता है। ऐसा भी हो नहीं सकता। इसलिये मैं इस बात को यहां नहीं उठाना चाहता कि घी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हालांकि यह बात भी कही जा सकती है। लेकिन मुझे यह अवश्य कहना है कि दुनिया को धोखे से बचाइये। बनस्पति घी कुछ सस्ता मिलता है इसलिये दुनिया लेती है, लोग समझते हैं कि वे घी खा रहे हैं। घी नहीं खा रहे हैं वे खुद को खा रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा, एक डेढ़ रुपया सेर के पीछे ज्यादा देना पड़ता है, खाने से सेहत बिगडती है और उससे उतना भी लाभ नहीं होता जितना कि तेल के खाने से होता है।

अभी कहा गया कि हिन्दुस्तान में काटन सीड के तेल का अधिकतर इसमें उपयोग होता है। मै आपसे कहना चाहता हूं कि शायद एक आध ही मिल हिन्दुस्तना में होगी जो काटन सीड का उपयोग करती हो, नहीं तो सारी मिलों में ग्राउन्डनट का उपयोग होता है। मेरे जिले में दो बनस्पति घी की मिलें हैं मेरे जिले में ग्राउन्डनट काफी पैदा होता है, काफी तेल की मीलें हैं तब भी हर वर्ष इन दो मिल वालों को बाहर से तेल लाना पड़ता है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि यह तेल ट्रांस्पोर्ट होता है या नहीं ? उनको कोई तकलीफ नहीं होती उस ट्रांस्पोर्ट में ? खाने की, तेल लाने ले जाने मात्र में असुविधा दिखाई दे यह एक अजीब आर्ग्युमेंट है जो आप समझ सकते है कोई मूल्य नहीं रखता। इसलिये मेरा कहना है कि आप क्यों कलरिंग के मामले में देर कर रहे हैं, क्यों डिलेइंग हो रही है ? बारह वर्ष हो गये। मुझे आज के फूड मिनिस्टर के विचारों का पता नहीं, परन्तु कुछ वर्ष पहले जो हमारे फूड मिनिस्टर थे, जैसा कि मैं ने अभी बतलाया जैरामदास जी थे, उसके बाद मुंशी जो हुए, स्वयं हमारे राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू थे, ये सब इस पक्ष में थे कि बनस्पति को कलर देना चाहिये। परन्तु कोई तवज्जुह आज तक इस ओर नहीं दी गई। न इन बड़ों की बात सुनी गई और न आज बड़ों की सुनी जा रही है। आखिर में मे, पूज्य विनोबा जी का एक उद्धरण उसको आपके सम्मुख पढ़ कर अपने भाषण को समाप्त करता हूं :

"I would ask you to go to the bazar and study the position. It is said 'Read the history in the nation's eyes'; you will know what is happening in the country. I have experimented on my own body. I had stopped taking milk or ghee. My weight went down. Then I was advised to use Cocogem which was stated to be pure, clean and useful for human consumption. I used it for some time but I did not see any improvement in my health at all. There was no increase in my weight. After this I used fresh linseed oil for six months; my weight increased by 22 pounds during that period. Mahatma Gandhi was astonished to see this. I am definitely of opinion that if

Vanaspati industry is continued in this country, it will definitely ruin the national health."

श्री सत्या चरण : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जिस समय मैं सदन में आया उस समय मुझे इस बात की सूचना . . . .

THE DEPUTY MINISTER OF FOOD and AGRICULTURE (SHRI A. M. THOMAS): Sir, may I suggest that the hon. Member may speak in English?

SHRIMATI YASHODA REDDY (Andhra Pradesh): He can speak in English so that we could understand him.

श्री सत्या चरण : जरा राष्ट्रभाषा में भी बोलने दीजिये और सुनिये ।

तो जिस समय मैं सदन में आया मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि इस आशय का प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा गया है कि बनस्पति तेल जो घी के नाम से गलत ढंग से प्रसिद्ध है उसे उसके ठीक स्वरूप में रखने के लिये रंग देना चाहिये । मैं इस प्रस्ताव को लाने वाले श्री जुगल किशोर जी को हार्दिक बधाई देता हूं । मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि यह गणतन्त्रात्मक राज्य का--और वह भी साधारण नहीं वरन् सर्व प्रभुता सम्पन्न राज्य का--सबसे बड़ा मंच है और इस मंच पर आज खाद्य सामग्री के साथ मखौल उड़ाया जा रहा है । मैं इस बात को जानता हूं कि आपके ऊपर प्रभाव डालने के लिये मुझे किसी विशेष ढंग के तर्क की आवश्यकता नहीं । यह स्पष्ट है कि यदि आप का खाद्य पदार्थ जिसका प्रयोग आप दिन प्रति दिन करते हैं, बुरा हुआ तो इसका प्रभाव आप के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ेगा । अभी श्री देवीकीनन्दन जी ने बहुत सुन्दर शब्दों में श्री विनोबा जी का वह उद्धरण उपस्थित किया है जिसमें उन्होंने अपने शरीर पर कोकोजम या बनस्पति का प्रयोग करके यह साफ साफ प्रमाणित कर दिया कि कोकोजम का प्रभाव बहुत बुरा है । मैं केवल इतना ही इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमने खाद्य सामग्री के प्रति उपेक्षा की है और उस उपेक्षा का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा है कि आज हमारी शारीरिक स्थिति दिन प्रति दिन नीचे चली जा रही है । हम बड़े बड़े देशों का उदाहरण देते हैं । बड़ी बड़ी योजनाओं का उदाहरण देते हैं । और उदाहरण देते हैं उन वस्तुओं का जिनके प्रति हम समादर प्रदर्शित करते हैं । किन्तु क्या इस प्रसंग में हम खाद्य पदार्थ के विषय में भी कुछ सोचते हैं ? उपसभाध्यक्ष महोदय, हम स्पार्टा के सम्बन्ध में भी सुनते हैं । सुनते हैं कि यूनान ने बड़े बड़े वीरों को पैदा किया है । हमको ज्ञात है कि रोमन सिपाहियों के आगे सारा यूरोप थर्राता था । हम यह भी जानते हैं कि भारतवर्ष की भूमि में जहां भी मराठों ने मार्ग में पग रखा वहां अग्नि की चिन्गारियां प्रज्जवलित हो उठती थीं और जिधर भी वे जाते उनकी वीरता से जन जन में जीवन का जागरण होता था और इतिहास की कड़ियां बनती थीं । क्या हमने कभी उन के भोज्य पदार्थ, उनके रहन सहन के ढंग का आज के डालडा युग के रहन सहन के ढंग से मुकाबला किया है ? दोनों में क्या अन्तर है, क्या कारण है, क्या इस को समझने की चेष्टा की है । मेरे ऊपर किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता । मेरे ऊपर केवल सिद्धान्त का प्रभाव पड़ता है । यदि बड़े से बड़ा व्यक्ति किसी ऐसी चीज को जिसको कि मैंने अपने जीवन में स्वयं सिद्ध किया है अथवा प्रमाणित किया है उसका विरोध करता है तो उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है । मैं जानता हूं और इसके बारे में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है । सदन के जितने सदस्य यहां बैठे हैं तथा सुनने वाले दूसरे आगंतुक, इन सबको यह साफ साफ मालूम है कि यदि डालडा में बनी हुई पूड़ियां रात्रि में हम खा लेते हैं तो दूसरे दिन यह कठिनाई हो जाती है कि ठीक ढंग से हम नाश्ता कैसे करें । उस दिन हमें मूंग की खिचड़ी का प्रयोग करना पड़ता है । यह बात मेरे ऊपर बीती है ।

[श्री सत्याचरण]

जिस दिन मैंने डालडा की पूड़ियां खायीं, उस के दूसरे दिन मेरे ऊपर उसका प्रभाव पड़ा । आज उस का नतीजा यह है कि मैंने प्राय: पार्टियों में जाना छोड़ दिया है । यदि कहीं जाता भी हूं तो उसी प्रकार के भोजन को खाने की चेष्टा करता हूं जिससे हमारे शरीर की रक्षा हो ।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

उपसभापति महोदय, एक बात मैं स्पष्ट कहूं कि जो हमारा राष्ट्रीय ढांचा है उसमें हमने अपने भोजन के साथ मखौल किया है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सब से पहली चीज़ जिसको हमने आघात पहुंचाया है, वह हमारी भोजन सामग्री है । हममें से जितने यहां ऐसे हैं जिनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे इस देश से बाहर निकल कर यूरोप, अमेरिका अथवा ऐसे किसी देश में गये हैं जहां शुद्ध वस्तुओं की प्राप्ति होती है तो वे इसका समर्थन करेंगे कि आज लंदन में यदि एक छोटे चार वर्ष के लड़के से यह कहा जाय कि तुम एक मक्खन की टिकिया ले आओ, तो मक्खन के अतिरिक्त उसे और कोई चीज नहीं मिलेगी, केवल शुद्ध मक्खन ही मिलेगा । हमें जिस प्रकार अमेरिका में दूध पीने को प्राप्त हुआ, आज हम उसके लिये भारतवर्ष में तरसते हैं । यद्यपि यह कृष्ण की जन्मभूमि बताई जाती है और हम अपनी परम्परा के गीत गाते रहते हैं इसलिये मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत काफी भ्रम उत्पन्न किया गया है । एक महोदय ने कहा कि पीछे के द्वार अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हम चाहते हैं कि हम डालडा को बन्द करें । मैं बड़े विनय के साथ उनसे यह कहना चाहता हूं कि डालडा को रंगने के रास्ते को रोक कर वे डालडा को प्रोत्साहन दे रहे हैं । इसलिये सभी सभासदों के सामने मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं . . . .

SHRI SONUSING DHANSING PATIL: That will be a fallacious argument.

श्री सत्याचरण : जरा समझने की कोशिश कीजिये । मैंने कहा अप्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष के माने है बैक डोर, "इंडाइरेक्ट" । जिन्होंने यह कहा है कि डालडा को रंगना डालडा को रोकना है और इसके लिये क्यों न सीधे सीधे डालडा को रोकने का प्रस्ताव लाया जाय, इसके उत्तर में मेरा यह निवेदन है कि जब आप इस प्रकार का तर्क उपस्थित करते हैं तो उसका साफ साफ उत्तर यही है कि डालडा को रंगने से रोक कर आप चाहते हैं कि डालडा को प्रोत्साहन मिले । किन्तु हम चाहते हैं कि उसका विरोध हो । इस सम्बन्ध में मैं तैत्तरीय उपनिषद् का एक मंत्र उपस्थित कर रहा हूं क्योंकि हम परम्पराओं को भूल गये हैं और परम्परायें बहुत कुछ हमें जीवन दान देती हैं । अभी दूसरे दिन मैं यहां बोल चुका हूं कि परम्पराओं के द्वारा ही राष्ट्र जीवित रहते हैं । तैत्तरीय उपनिषद् में एक बड़ा सुन्दर मंत्र आया है जिसमें कहा गया है :

अन्नं वै ब्रह्म, अन्नं वै प्राण ।

ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं और राष्ट्र को जीवन देने वाले हैं । कहा है "अन्नं वै ब्रह्म" "वह महान् से महान् जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हम अन्न के द्वारा करते हैं । यदि शरीर न हो तो उसकी उपासना भी ठीक न हो । "अन्नं वै प्राण :" अर्थात् सृजन करने का आधार अन्न है । अन्न का अर्थ यहां पर भोजन सामग्री है, चाहे वह पेय हो अथवा ठोस हो । इसलिए मैं बहुत ही विनय के साथ यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की बातें जो आज हमारे सामने कह रहे हैं कि डालडा एक सुलभ पदार्थ है, इसके द्वारा खर्च कम होगा, उनको मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सी ज़हर की चीज़ें हैं जो बहुत ही साधारण मूल्य में मिल सकती हैं और बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो सुलभ हैं, किन्तु क्या आपने कभी इस बात का विश्लेषण किया कि

जिस पदार्थ के द्वारा आपके राष्ट्र को जीवन प्राप्त होगा। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको राष्ट्र की स्थिति को ऐसा रखना है जिसमें प्राण हो और उस प्राण में वह गति हो जो उसका संरक्षण कर सके तो आपको चाहिये कि आप खाद्य के सम्बन्ध में मखौल न करें।

यहां भ्रष्टाचार को रोकने के लिए साफ साफ कहा गया है। प्रस्तावक महोदय का यह कहना है कि जिनको डालडा खाना हो वे डालडा खाये, उनको कोई रोकता नहीं है। लेकिन जो डालडा से बचना चाहते हैं उनके बचाव के लिए इसको रंग दिया जाय और इसका जो ठीक स्वरूप है वही बाजार में रखा जाय। इस समय यह प्रथम प्रश्न है। इसके पश्चात् यदि इसको रोकने का प्रश्न उठा तो उसके सम्बन्ध में भी प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया जायगा। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आज हमारा सिर संसार में झुक जाता है। इसके कहने में मुझे कदाचित संकोच नहीं है कि हम आज सब से बड़े भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। आज इस देश में बालू और मिट्टी भी शुद्ध मिलना कठिन है। ऐसा कहते हुये मुझे लज्जा आती है। एक संसद सदस्य के नाते यदि मैं स्पष्ट हृदय से अंतःकरण की आवाज उपस्थित करूं तो मैं अपने कर्तव्य की पूर्ति करूंगा और वह यह है कि सरकार इस सम्बन्ध में शिथिल रही है। सरकार ने इस सम्बन्ध में संकोच से कार्य किया है। यदि उसकी शक्ति ठीक होती, यदि उसने प्रभुता सम्पन्न रास्ता निकाला होता तो आज इस देश के भीतर भ्रष्टाचार की कोई स्थिति उपस्थित न होती।

इसलिए, उपसभापति महोदय, मैं और अधिक समय न लेकर आपको इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना समय अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए दिया। अब मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं और उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इतनी देर तक तर्क और अनुभव की बातें सुनीं। मैं पुनः सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस विषय पर गंभीरता से विचार करे और वह वस्तु जिसे मंत्रियों और दूसरे बड़े से बड़े लोगों ने हानिकर समझा है और जो अभी तक रोकी नहीं गई है उसे रोकने का अधिक से अधिक प्रयत्न करे। इसी प्रसंग में मैं पुनः प्रस्तावक महोदय को बधाई देता हूं और इस विधेयक का अनुमोदन करता हूं।

शाह मुहम्मद उमेर : जनाबेवाला, मैंने तो अपनी जगह पर यह समझा था कि शायद इस प्रस्ताव के ऊपर इस हाउस के अन्दर बहुत ज्यादा लोग अपने ख्यालात का, अपने विचारों का इज़हार नहीं करेंगे। मैं भी अपनी जगह पर इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों के ख्यालात को सुना तो मैंने उनको डिवाइडेड पाया, बंटा हुआ पाया। इस वनस्पति के सिलसिले में मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस हाउस के अन्दर बंटे हुये, डिवाइडेड ख्यालात आपके सामने रखे गये हैं, लेकिन इस हाउस के बाहर हमको बंधे हुये, नपे हुये और एक जैसे ख्यालात मिलेंगे। वनस्पति के मुताल्लिक सारे देश में, एक कोने से दूसरे कोने तक, होटलों में, बाजारों में, सड़कों में, यहां तक कि हर जगह निन्दा होती है, चर्चा होती है, शिकायतें होती हैं, और यह आवाज़ दिन रात हमारे कानों में पहुंचती रहती है। लेकिन इसके बावजूद क्या आप मुझे यह ताज्जुब करने की इजाजत दीजियेगा कि अगर्चे हम इस हाउस में जवाबदेही की जगह पर बैठे हुये हैं, फिर भी हमारे ख्यालात एक नहीं हैं। जब एक बढ़ई लकड़ी को चीरता है तो उसका एक टुकड़ा एक तरफ गिरता है और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ गिरता है, ठीक उसी तरह से इस वनस्पति के सिलसिले में हमें आज हाउस में बहस सुनने को मिली, यानी आधे फॉर में और आधे अगेंस्ट में हैं। मैं अपनी जगह पर यह कहने को तैयार हूं कि इस

[शाह मुहम्मद उमेर]

बनस्पति के सिलसिले में जो कुछ कहा जाय वह सोच कर कहा जाय। एक दोस्त ने कहा कि आज घी की कमी है और पोपुलेशन बढ़ रही है। चूंकि हमारे मुल्क की आबादी बढ़ी है और घी की कमी होती जा रही है इसलिये उसके लिये कोई सब्स्टीट्यूट होना चाहिये। जब अपने दोस्तों के इन शब्दों को मैंने सुना तो मैंने अपना सिर झुका लिया। मतलब यह कि अगर आज सिपाहियों के लिये घोड़ों की कमी है तो हम घोड़ों की जगह पर गदहों को जोत देंगे। इसी तरह से अगर हीरों की और कीमती जवाहरातों की कमी हो तो उसकी जगह नकली पत्थरों को इस्तेमाल करेंगे, यह मतलब है। मेरा कहना है कि आज हमारा देश इतना धनी है और हमारे यहां इतना इन चीजों का भंडार है कि अगर हम उसको इकट्ठा करना चाहें और उसको इस्तेमाल करना चाहें तो कहीं कोई कमी नहीं है। हिन्दुस्तान के कोने कोने में तमाम चीजों का ट्रेजर छिपा हुआ है। मैं अपने उन दोस्तों को आज से तीन हजार वर्ष पहले के वैदिक पीरियड की याद दिलाना चाहता हूं और उनको वैदिक पीरियड में ले जाना चाहता हूं, जिस वक्त कि हमारे विद्वानों ने, हमारे कवियों ने, जिंदगी की तमाम बातों के लिये कोड आफ लाज बना कर रख दिये थे और आज उसको आप किसी तरह से तोड़िये मरोड़िये वही तीन हजार वर्ष पहले की फिलासिफी हमारे सामने आयेगी। और आज भी वही लाज है, वही कानून है जो कि उन्होंने जन-जीवन के लिये बना कर रख दिये थे। हम थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर उसी पर चल रहे हैं। उस समय उनके दिमाग के अन्दर वह सलाहियत थी, उनके दिमाग के अन्दर वह शक्ति थी, उनकी रूह में वह शक्ति थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वे सही तरीके से सोच सकते थे और उन्होंने जिस गोल चक्कर के पहिये को ईजाद कर दिया वही आज भी है। आज से छः हजार वर्ष पहले उन्होंने इसको ईजाद किया और आज तमाम तरक्की के बाद भी संसार में गोल पहिये की जगह चौखुंटा पहिया नहीं तैयार किया जा सका है। यह वैदिक पीरियड की फिलासिफी है जिसने कि हमें इतना बड़ा खजाना और ट्रेजर अता किया है। तो उनकी ऐसी जिन्दगी की वजह यह थी कि उनका मन शुद्ध था, उनका खाना शुद्ध था, घी शुद्ध था, दूध शुद्ध था और दही शुद्ध था और इसी वजह से पूरी तरह से उनका दिल और दिमाग शुद्ध था, दयानतदारी और ईमानदारी अपनी जगह पर चोटी पर थी। उनके बदन के अन्दर जो रस पैदा होता था वह इतना शुद्ध होता था कि उसकी वजह से उनके शरीर में एक चमक होती थी लेकिन आज वह चीज नहीं। मैं तो समझता कि जिन दोस्तों ने बनस्पति घी की ताईद की है वह बनस्पति घी के इस्तेमाल का ही नतीजा है और इसी वजह से वे अशुद्ध विचारों को हाउस में पेश कर रहे हैं। यदि बनस्पति घी के कारण यह असर पैदा नहीं होता तो वे इस तरह से बनस्पति की ताईद में अपनी आवाज नहीं उठाते। आज बनस्पति के इस्तेमाल से हमारी जिन्दगी बिगड़ रही है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इसकी वजह से हमारी जो मौजूदा जेनरेशन है वह किस तरीके से बिगड़ रही है यह कहने की बात नही है। मेरे एक दोस्त ने अभी कहा कि जिस रोज वह बनस्पति घी की बनी हुई चीजें खाते ह तो दूसरे रोज उनको मूंग की खिचड़ी की तलाश होती है। आपको तो यह सहु-लियत मिल सकती है लेकिन आप देहातों में जाइये और देखिये, शहरों की गलियों और मुहल्लों में जाइये और देखिये जहां कि लोग बनस्पति घी की बनी हुई चीजों को खाते हैं और जीते है और कराहते है और मक्खियों की तरह पैदा होते हैं और मच्छरों की तरह मर जाते है और किसी को खबर भी नही होती है। तो वह बनस्पति घी का असर है। हमारी जिन्दगी के ऊपर बनस्पति घी ने बड़ा गहरा असर डाला है। हर सेशन में, एक सेशन के बाद दूसरे सेशन में इसको रंगने की तजवीजें आती हैं, इसको कलर करवाने के

लिये तमाम चीजें आती हैं लेकिन दुःख है कि वह तमाम चीजें टाक आउट हो जाती हैं। इस तरह से आप बनस्पति को कभी नहीं रंग पायेंगे। यह मैनुफैक्चरर्स की ब्लेसिंग है कि हमें कोई रंग नहीं मिलता है। ये मैनुफैक्चरर्स जो कि आज बनस्पति घी को तैयार कर रहे हैं वे इसको इस वास्ते नहीं तैयार कर रहे हैं कि उनको हमारे राष्ट्र की हेल्थ का, नेशनल हेल्थ का कोई खयाल है। उनके सामने तो उनकी अपनी कमाई है, अपना मुनाफा है, अपना नफा है और इसी बुनियाद के ऊपर इसको तेजी के साथ बना रहे हैं।

मेरे एक दोस्त ने कहा कि हमारे देश में बनस्पति घी बहुत ज्यादा पैदा होता है इसलिये इस इंडस्ट्री को खत्म नही करना चाहिये। उन्होंने यह भी बताया कि यू० के० में और अमेरिका में भी बनस्पति घी बहुत बनाया जाता है लेकिन क्या उनको यह भी खबर है कि अमेरिका या यू० के० अपने मुल्क के अन्दर बनस्पति घी को इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि वह हमारे लिये, एशियाटिक कंट्रीज के लिये बनाते हैं। वे इसको अपने मुल्क में इसलिये बनाते हैं कि उसको एक्सपोर्ट कर के मुनाफा उठायें, वे सिर्फ मुनाफे को सोचते हैं।

आज हम आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर रहते हैं। और पहले भी हमारा यह विचार था और आज भी हमारा यह विचार है कि इस आजाद राष्ट्र के अन्दर, इस स्वतंत्र देश के अन्दर सब से पहला और आखीरी कर्त्तव्य हमारा यह है कि हम अपनी नेशनल लाइफ को, अपनी नेशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करें। इस अशुद्ध खाने की वजह से हमारी नेशनल लाइफ हमारी नेशनल हेल्थ बहुत ही बिगड़ रही है। एडलट्रेशन की वजह से हम तितर बितर हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। सिर्फ बनस्पति की वजह से ही एडलट्रेशन नहीं है बल्कि हर चीज में एडलट्रेशन है। मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह इस एडलट्रेशन की बीमारी को रोकने के लिये कोई सीरियस कदम उठाना चाहती है या नहीं। आज आप दिल्ली के बाजारों में जाईये। वहां आपको मिलेगा कि पत्थर का चूरा, पत्थर का पाउडर मिला हुआ आटा बिक रहा ह। क्या इसी दिल्ली शहर में तमाम चीजें एडलट्रेटेड नहीं बिक रही हैं? मैं आपको एक मिसाल दूं तो आप ताज्जुब करेंगे। जिसको आप काला जीरा कहते हैं वह बाजार में बिकता है लेकिन वह एक अजीब तरह का होता है। एक मर्तबा उसको थोड़ी मिकदार में मैं ले गया और उसको धो कर साफ करने की कोशिश की गई लेकिन वह सारा का सारा मिट्टी का बना हुआ था और हुआ यह कि वह सारा का सारा घुल कर पानी के अन्दर ही रह गया। तो यह एडलट्रेशन की एक मिसाल है जिसके मुताल्लिक कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके लिये जबरदस्त कदम उठाने की जरूरत है।

मेरे दोस्त ने कहा कि एडलट्रेशन किसको कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि एडलट्रेशन किसको कहते हैं। अगर एक सेर दूध में आधा पाव पानी का एडलट्रेशन हो जाय तो वह किसी माने में एडलट्रेशन नहीं कहा जायगा, उसको माफ किया जा सकता है। लेकिन आज तो एडलट्रेशन की हालत यह है कि दूध में पानी ही पानी होता है, पानी में दूध का एडलट्रेशन होता है, पानी में कहीं दूध का दो, तीन, चार कतरा ही होता है और वह दूध कहा जाता है। तो आज इसे एडलट्रेशन कहते हैं। इसी तरह से डालडा के अन्दर घी का एडलट्रेशन करके बेचते हैं। घी कह कर बेचते हैं। लेकिन होता यह है कि डालडा के अन्दर घी का एडलट्रेशन होता है, डालडा की मिकदार ज्यादा होती है और घी की मिकदार बहुत ही कम होती है।

बहरहाल इन तमाम चीजों को सामने रखें। आज हमें अपने देश की दृष्टि से, हमें अपने नेशनल हेल्थ के प्वाइंट आफ व्यू से, अपने राष्ट्रीय जीवन और अपनी तंदुरस्ती को

[श्री शाह मुहम्मद उमेर]

हिफाजत के लिये सब कुछ करना पड़ेगा और इसके लिये डालडा के प्रोडक्शन को भी रोकना पड़ेगा। मेरे दोस्त ने यह बिल इसको कलर करने के लिये रखा है तो यह भी एक चीज है। जब तक कि इसको पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है तब तक इसके लिये कलराइजेशन भी एक चीज हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको रोकने का प्रबन्ध सबसे ज्यादा तेजी के साथ हमको करना चाहिये जिससे कि अब तक जितना नुक्सान इससे हमारी नेशनल हेल्थ को पहुंच चुका है वह तो पहुंच चुका लेकिन अब इसके बाद आइंदा और कोई नुक्सान नहीं पहुंचे। यह जिम्मेदारी हकूमत की है, इसकी जवाबदेही हुकूमत पर है। और मैं हाउस के दोस्तों से कहूंगा कि अगर हुकूमत इस पर भी कान न धरे और हमारी नेशनल हेल्थ बिगड़ती रहे, डालडा से हमारे बच्चों की तंदुरुस्ती बिगड़ती रहे और राष्ट्र निर्माण के लिये जो आइंदा जेनरेशन है उसके इस तरह से बर्बाद होने के नजारे हमारे सामने हों तो मैं फार्मर्स से और उन लोगों से जो कि राष्ट्र के लिये, देश के लिये कुछ कर सकते हैं उनसे कहूंगा कि उनको लेजिसलेशन से दूर हो करके, इसके बाहर हो करके, इसको बायकाट करने की कोशिश करनी चाहिये और इस बात के मुताल्लिक जनता को ध्यान देना चाहिये कि वह बनस्पति घी का बायकाट करके हुकूमत को मजबूर करे कि वह इसके लिये कानून बनाये।

SHRI P. A. SOLOMON (Kerala): I move:

"That the question be now put."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not yet; there are two more speakers.

SHRI B. P. BASAPPA SHETTY (Mysore): Mr. Deputy Chairman, Sir, I extend my hearty support to the Bill brought by my friend Mr. Jugal Kishore, in the interests of the health of the nation. I wish he had brought a Bill completely banning the manufacture of this vanaspati. Sir, it is the public opinion and also the experience of several Members of this House that the use of this vanaspati is injurious to health.

I have come to know that most of the heart failures in the country are attributed to the constant use of vanaspati, dalda, etc. It causes early blindness among teen-aged boys and girls. Every day in the press we read reports of so many deaths due to heart failures. Therefore, Sir, in the interest of national health, the manufacture of this vanaspati must be put an end to. This Bill which has been brought by my friend is a step towards a complete ban on the manufacture of vanaspati.

Sir, they have quoted our Health Minister and our Prime Minister supporting the manufacture of vanaspati. They are stated to have said that it is harmless. I should say that they are also laymen like most of us. Shri Karmarkar may be the Health Minister but he is also a human being like us. What Acharya Vinoba said about vanaspati is perfectly true; it is cent. per cent. true. As a matter of fact, this is our experience also. After coming to Delhi and after using this vanaspati, we feel palpitation of heart; we are growing weaker and weaker. As a matter of fact, after I came to Delhi my weight has reduced. In my native place I was using til oil or gingelly-oil and I was quite hale and hearty. After I came to Delhi my health has been failing. If people want to keep sound health they should use other oils such as til oil, mustard oil or coconut oil so extensively used in some parts of India and which are very healthy also.

SHRI N. M. LINGAM (Madras): But the experience of the Health Minister is different from yours. He is growing fatter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order.

SHRI B. P. BASAPPA SHETTY: It is injurious and such people often get heart attacks and die of heart failures. As a matter of fact, fatty people should not use oils. They should decrease the use of oils.

Sir, this question has come up before this House a number of times. It was also referred to the Indian Council of Medical Research. I do not know why they are delaying the submission of their report. We do not know the result of their research so far. With regard to the use of this oil, as a matter of fact, medical opinions also differ. I think, Sir, that in the interest of the nation at large, the Government will be bold enough to see that the manufacture of this oil is put an end to.

I know, Sir, that our Deputy Minister is preparing himself with this reply to convince us that it is not harmful. With his reply he will encourage the manufacturers of this oil to mint more and more money. I do not know the reason why the Government is delaying things when there is general public opinion in favour of the abolition of the manufacture of this oil. I think he will not hesitate to come forward and say that proper action in the matter is being taken. Where there is a will there is a way. If he wants to protect at least a section of the public from the evil effects of this oil, he must see that something is done. He should devise some method by which this vanaspati can be coloured to prevent its adulteration with ghee. If he has a will to do it, it can be done. Researches can go on. It is not impossible for man to find out a suitable device. Even now there is enough time to find out some remedy to see that vanaspati oil can be detected if used for adulterating pure ghee. I trust, Sir, that the hon. Minister will see that the needful is done. Something should be done to detect this adulteration. Thank you.

SHRI NAFISUL HASAN (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I do not think there are many persons in this august House who will not agree with the principle underlying this Bill. I heard with great interest the speeches delivered with regard to the demerits and the injurious nature of vanaspati oil. It was argued by an hon. Member that vanaspati is wholesome for health. It was also said that the vanaspati trade will be destroyed if this Bill is passed in this House and that we will be in difficulties to find money for our Third Five Year Plan. I feel, Sir, that this discussion is not strictly relevant for the consideration of the Bill. The scope of the Bill is limited. It is not the intention of the Bill to ban vanaspati. The idea underlying the Bill and the principle on which it is based is that vanaspati should be coloured so that ghee may not be adulterated with it.

I think, Sir, it is the right of every citizen to get what he intends to buy in the market and it is our duty to ensure that he is not cheated. The deception which is being practised at present on account of vanaspati which is being sold as ghee—I think 75 per cent. of it is vanaspati and only 25 per cent. of it is ghee—should be put a stop to.

Sir, we in the Uttar Pradesh Assembly took up this question about eleven or twelve years ago but we were unable to tackle it successfully. The whole difficulty at that time was that we could not find suitable non-injurious colour which could be mixed in vanaspati. I understand from the discussions that have been going on here that this question has been engaging the attention of the Central Government for a number of years. Now that quite a long time has passed, I would like to know from the Government whether they have carried out any researches and experiments

[Shri Nafisul Hasan.]
that direction. Have they been able to find out any colour which can be safely mixed in vanaspati?

Sir, the honourable the mover of this Bill deserves our congratulation as he has been able to draw the attention of the Government again to this important question. Coming to the provisions of the Bill, clause 3 says:

"(1) No person shall manufacture vanaspati without using a colouring agent.

(2) If any person contravenes the provisions of sub-section (1), he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both."

Sir, I feel that it is not the stage, unless some proper colour has already been found, to pass this Bill and I hope that in the near future, when we succeed in finding a proper colour, this Bill will come before this House in a proper form. As far as the provisions of the present clause 3 are concerned, I feel that they are a bit defective. First of all a penalty is being provided for only the manufacture of Vanaspati, without using a colouring agent. Supposing we are unable to lay our hands on the person who is manufacturing Vanaspati and Vanaspati is being sold freely in the market, we cannot penalise the person who is selling vanaspati. The penalty provided, namely six months' imprisonment or a fine of Rs. 1,000, is also very inadequate. A person who manufactures vanaspati in thousands of tons and earns crores of rupees will face a prosecution, undergo imprisonment for six months and will pay a fine of Rs. 1,000 without in any way being deterred from committing that offence again. So I hope when this matter comes up again after some time, attention will be paid to what I have submitted with regard to the provisions of this clause.

As I said earlier, I am in full agreement with the principles underlying this Bill.

श्रीमती सावित्री निगम (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, इस बनस्पति घी को कलर करने के विषय में जो विधेयक आज सदन के सम्मुख है उस पर अनेक माननीय सदस्यों ने बड़ी विद्वत्तापूर्ण रायें प्रकट की हैं। यह प्रश्न कोई नया नहीं है। पिछले सात-आठ वर्षों से निरन्तर कभी प्रस्ताव के रूप में, कभी प्रश्नों के रूप में, कभी विधेयक के रूप में, इस सदन के सम्मुख आता रहा है। इसमें भी संदेह नहीं है कि सरकारी सूत्रों को यह विदित भी हो चुका है कि सदन के माननीय सदस्य ही नहीं, बल्कि देश में एक बहुत बड़ा जनमत इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि बनस्पति घी, जो कई तरह से, कितनी ही बार यह प्रमाणित हो चुका है कि जन-स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, उस पर कोई अवरोध लगाया जाय और उसे कम से कम इस प्रकार से रंग दिया जाय कि उसकी मिलावट शुद्ध घी में न हो सके। लेकिन पता नहीं क्यों, आज तक सरकारी सूत्रों का, माननीय खाद्य मंत्री का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का दृष्टिकोण वैसा ही स्थिर बना हुआ है, कभी वे असमर्थता जाहिर करते हैं कि हमें कोई इस प्रकार का रंग नहीं मिल पाता, कभी वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है ही नहीं, कभी यह भी कहा जाता है कि यह इतना बड़ा उद्योग है कि हम इसे कैसे बन्द कर दें। जहां तक इस बनस्पति को रंगने का प्रश्न है, भला आज के इस वैज्ञानिक और अनुसन्धानों के युग में, जबकि मानव ने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह चन्द्रलोक और सूर्यलोक की परिक्रमा करने की तैयारी कर रहा है, कौन मानेगा कि आज संसार के वैज्ञानिक इतने निकम्मे साबित हो चुके हैं कि वे बनस्पति घी को रंगने के लिये एक रंग नहीं निकाल सकते। यही कारण है कि आज जनता में एक गलत

धारणा फैल रही है। सब लोग यह कहते हैं कि पूंजीपतियों के दबाव में आकर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं स्वयं यह नहीं मानती, लेकिन मैं यह चाहती हूं कि माननीय खाद्य मंत्री इस बार कोई ऐसा उत्तर न दे कि यह धारणा कोई ऐसा रूप पकड़े कि वह एक विश्वास में परिवर्तित हो जाये। देश में जब हमने डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है, जब हम डेमोक्रेसी का सादर अभिनन्दन करते आ रहे हैं तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि जनता जो कि हमारी मास्टर है, जो कि हमारी स्वामिनी है, उसकी क्या राय है, और इसी राय के अनुसार हमें कदम उठाना चाहिये। इसके अतिरिक्त सदन के माननीय सदस्य, जो कि देश के कोने कोने से आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अक्सीरियत की पूरी सहमति प्राप्त करके यहा सदन में आते हैं, मेरा विश्वास है कि अब की बार सरकारी सूत्रों से और विशेष रूप से माननीय खाद्य मंत्री जी से एक संतोषजनक उत्तर उन सब की प्रार्थनाओं को मिलेगा।

इस बनस्पति घी की खराबी के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, यह बात किसी रिसर्च लेबोरेटरी में प्रमाणित करने की नहीं है, स्वयं खाद्य मंत्री महोदय एक दिन डालडा का प्रयोग करके देखें और दूसरे दिन शुद्ध घी और तेल का प्रयोग करें, फिर उनको यह जानने में देर नहीं लगेगी कि दोनों में कितना भारी अन्तर है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह जानने में हमें देर नहीं लगेगी कि हाइड्रोजेनेशन के प्रासेस से कितनी हानि होती है। प्रचार के लिये डालडा की जो एक पुस्तक निकलती है उसमें बराबर यह लिखा रहता है कि दूसरे जो बनस्पति घी बाजार में मिलते हैं उनमें निकल की मात्रा रहती है और वह हृदय और लीवर के लिये बहुत हानिकारक है। वे तो अपने प्रचार के लिये ऐसा करते हैं, लेकिन साधारण से साधारण वैज्ञानिक या विशेषज्ञ से पूछा जाय तो वह यही कहेगा कि कोई भी चीज जो हाइड्रोजेनेशन के प्रासेस से गुजरती है, उसकी जो हज्म होने की खासियत होती है, वह अपने आप ही कम हो जाती है। चाहे तेल हो, चाहे घी हो, चाहे कोई चीज हो, जो वस्तु इस प्रासेस से गुजरेगी उसमें हज्म होने की जो खासियत होती है वह कम हो जाती है। इसीलिये फ्रांस आदि ऐसे देश, जहां हर तरह की प्राग्रेस बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी है, वहां भी इस तरह के बनस्पति घी का इस्तेमाल नहीं होता है। पहले मैं यह सुनती थी कि और देशों में बनस्पति घी का इस्तेमाल बहुत जोरो से होता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि वहां पर ऐडिबिल आइल का डिओडरेजेशन होता है। वे बनस्पति नहीं बनाते बल्कि वे यह करते हैं कि तेल में जो महक होती है वह न रहे। तो तमाम देशों में तेल इसी तरह से डिओडराइज करके इस्तेमाल होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा देश विदेशों में बनस्पति घी भेजने लगा है और इस सम्बन्ध में मुझे कोई शिकायत नहीं है। इतना मैं अवश्य कहूंगी कि कोई भी खराब चीज, जो हमारे देशवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने वाली है, उसको दूसरे देशों में भेज कर वहां के लोगों का भी स्वास्थ्य खराब करना उचित नहीं है। इसलिये इसका यह रूप नही रहना चाहिये। एडिबिल आइल्स में जो तमाम पोषक तत्व हैं, उनको खराब करके उनको बार करके बनस्पति घी बनता है। मैं समझती हूं कि यह हमारे राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिये हानिकर है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि बनस्पति घी के ऊपर कोई रोक लगाई गई, तो इस उद्योग को थोड़ा बहुत धक्का तो जरूर लगेगा, लेकिन यह धक्का भी न लगे यदि डिओडराइजेशन का प्रासेस आरम्भ कर दिया जाये। इसमें उनका लाभ थोड़ा कम हो जायेगा। लेकिन हमें यह देखना है कि यह जो बनस्पति घी उद्योग है, इससे असल में किसको लाभ होता है। इससे लाभ न देहाती जनता को

[श्रीमती सावित्री निगम]

हो रहा है, न शहरी जनता को हो रहा है, और न किसी को हो रहा है। इससे केवल चन्द पूंजीपतियों को लाभ होता है। इसलिये चन्द पूंजीपतियों के लाभ के लिये सारे राष्ट्र के स्वास्थ्य को खतरे में डालना मैं उचित नहीं समझती। इस में देर करना, या इसको टालना या इसको जस्टिफाई करना, मैं सोचती हूं, कि यह भी कोई उचित बात नहीं होगी। इस में कोई शक नहीं है कि जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार बड़ी तेजी से बढ़ा है और उसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी है वह इस वनस्पति घी पर है।

श्रीमन्, वनस्पति घी ने एक वनस्पति सभ्यता को जन्म दे दिया है जोकि कृत्रिमता से बनी हुई है। लोग डालडा खाते हैं और बड़ी शान से कहते है कि हम डालडा छूते भी नहीं हैं, हम तो केवल शुद्ध घी का इस्तेमाल करते हैं। परिवारों में यह प्रवृत्ति इतनी गहराई से पहुंचती जा रही है कि रसोईघरों में दो प्रकार के खाने बनने लगे हैं, अर्थात् नौकरों के लिये डालडा में और दूसरों के लिये शुद्ध घी में। तो कोई भी दुर्बलता जीवित समाज के लिये उतनी हानिकारक नहीं होती जितनी कि उसकी सहमति। आज समाज ने मान लिया है कि शुद्ध घी में डालडा मिलाया ही जायगा और हम मिलावट वाले सामानों का उपयोग करने के लिये मजबूर और विवश हो गये हैं। यह वनस्पति घी और वनस्पति सभ्यता की देन है और यही कारण है कि आज समाज में लोगों का कांसेंस बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। लोग यह सोचते हैं कि जब सभी लोग मिलावट वाला सामान खाते हैं तो हम भी क्यों न मिलावट वाला सामान खायें। इस प्रकार से वनस्पति घी ने जो एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है वह यह है कि लोगों की प्रवृत्ति को अशुद्ध बना दिया है। इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि इस विधेयक को पास किया जाय। मैं जानती हूं कि इसका जवाब देते समय माननीय खाद्य मंत्री महोदय कहें कि यह तो ठीक नहीं है, इसकी यह धारा उचित नहीं है या इसके क्लाज ३ में डिफेक्ट है और उनके लिये कहने को सबसे बड़ी आसानी की बात यह है कि अभी तो रंग ही नहीं मिला है। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि भले ही किन्हीं कारणों से वे इस विधेयक को अभी स्वीकार न कर पायें, परन्तु उन्हें अभी बहुत जोरदार शब्दों में यह आश्वासन देना चाहिए कि हम इसके लिए शीघ्र ही प्रयत्न करेंगे और हम इस बात के लिये विदेशों के वैज्ञानिकों के सामने और देश के वैज्ञानिकों के सामने बड़ा से बड़ा इनाम रखेंगे। यदि इन पूंजीपतियों से ही कहा जाय—जो कि आज देश के कोने कोने से गरीब से गरीब व्यक्ति को, साधारण से साधारण व्यक्ति को मार कर इतनी तेजी से मुनाफा कमा रहे हैं—यदि इन वनस्पति घी के उद्योगपतियों से कहा जाय कि हम छः महीने के अन्दर तुम्हारी फैक्ट्रीज बन्द कर देंगे, नहीं तो तुम लोग कहीं से कोई न कोई रंग इसको कलर करने के लिए ढूंढ कर लाओ तो आप देखेंगे कि एक महीने के अन्दर ही वे लोग स्वयं यह ढूंढ लेंगे और इसके लिए सरकारी सूत्रों को, हमारे खाद्य मंत्री को कोई प्रयत्न करना ही नहीं पड़ेगा। यदि ये उद्योगपति जिन्होंने कि करोड़ों रुपया इसके द्वारा कमा कर रख लिया है आज यह कह दें कि हम एक करोड़ रुपया उस वैज्ञानिक को देंगे जो कि एक बहुत उपयोगी रंग ढूंढ देगा तो कोई वजह नहीं है कि सारे संसार के वैज्ञानिकों में से सब इतने बुद्धिहीन हो जायें कि वनस्पति घी को रंगने के लिए कोई रंग न दे सकें।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहती हूं। आज हम फूड प्रोडक्शन पर इतना जोर देते हैं, हम कम्युनिटी डेवलपमेंट पर इतना जोर देते हैं, एनिमल हसबैंडरी पर, गो-पालन पर इतना जोर देते हैं, बड़ी बड़ी गोसंवर्धन कौंसिलें बना रहे हैं, बड़े बड़े फार्म बना रहे हैं, पशु पालन के लिये और डेयरिंग के लिये फार्म

बना रहे हैं और उसमें लाखों रुपया देश का लगाया जा रहा है लेकिन बहुत दिनों पहले राष्ट्रपिता ने कहा था कि प्रस्ताव पास करने से और बड़े बड़े भाषण देने से गो-पालन नहीं हो सकता है, इससे कभी भी गो-रक्षा नहीं हो सकती है, इससे कभी भी कैटिल वेल्थ की रक्षा नहीं हो सकती है। कैटिल वेल्थ की रक्षा तो तब होगी जब कि शुद्ध घी के उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाय। तो मैं माननीय खाद्य मंत्री से पूछना चाहती हूं कि तमाम नये नये उद्योगों को कामर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री और अन्य विभाग तरह तरह की सबसिडीज दे रहे हैं लेकिन शुद्ध घी को जो इंडस्ट्री है उसको भी क्या सरकार ने कोई सबसिडी दी है, उसको भी क्या कोई प्रोत्साहन दिया है? यदि आज शुद्ध घी की इंडस्ट्री को सरकार प्रोत्साहन दे और इसके लिये वनस्पति घी पर एक लेवी लगा दे तो मेरा यह विश्वास है कि आज वनस्पति घी के उद्योगपति जो झोपड़ियों से फायदा निकाल कर सब हड़प कर लेते हैं वह लौट कर किसी रूप में झोपड़ियों में पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त, आज जो बड़े बड़े ब्रीडिंग फार्म बनाये जा रहे हैं, गो-संवर्द्धन केन्द्र बनाये जा रहे हैं और उनके लिए जो रुपया अनुदान में दिया जा रहा है उस रुपये का पूरा पूरा लाभ उसी समय हो सकेगा जब कि सारी जनता गो-पालन में दिलचस्पी लेना शुरू करे। और वह तभी हो सकेगा जब कि आप इस वनस्पति घी के उद्योग पर कोई न कोई नियंत्रण लगायेंगे। बहुत से लोगों ने यह चर्चा की कि ग्रामीण लोग भी घी में डालडा मिलाते हैं और उसे दूध में मिला कर घी बनाते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि अब भी हमारे यहां एक बहुत बड़ी तादाद उन ईमानदार ग्रामीणों की है जो कि शुद्ध घी बनाते हैं मगर जहां वे जाते हैं वहां ही उन पर शक किया जाता है और लोग उनके घी को टेस्ट करने के बाद भी यकीन नहीं कर पाते हैं कि यह शुद्ध घी है। क्योंकि वनस्पति घी के भाव से थोड़े ही ज्यादा महंगे भाव पर उसको बेचते हैं और इस शक व शुबहा की वजह से उनको दुगुनी कठिनाई होती है। यही कारण है कि जो शुद्ध घी का उद्योग है वह नष्ट होता जा रहा है।

तो इस समय मैं खाद्य मंत्री से केवल एक मांग करना चाहती हूं और वह यह है कि तुरन्त ही फाइनेंस मिनिस्टर से कह कर वह वनस्पति घी पर एक नई लेवी लगवायें और उसी पैसे से उन लोगों को सबसिडी दें जो कि शुद्ध घी के कुटीर उद्योग में आज लगे हुए हैं।

श्री सो० तुसिंह बनसिंह पाटिल : यह कुटीर उद्योग कहां है ?

श्रीमती सावित्री निगम : हमारे माननीय सदस्य पाटिल जी इसको जानना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहती हूं कि . . . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not go to 'Kutir Udyog'.

श्रीमती सावित्री निगम . . . . . . शुद्ध घी का जो कुटीर उद्योग है वह तो अब भी गांव गांव में मौजूद है।

श्री उपसभापति : यह एक अलग बात है।

श्रीमती सावित्री निगम : इसीलिये मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यदि आप चाहते हैं कि सचमुच देश का स्वास्थ्य बढ़े, वनस्पति घी के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य को जो धक्का पहुंच रहा है वह समाप्त हो तो मेरा विश्वास है कि खाद्य मंत्री जी शीघ्र ही इस सदन में एक नया विधेयक लायेंगे और उसके द्वारा केवल इसको रंगेंगे ही नहीं बल्कि इसके ऊपर तरह तरह के नियंत्रण लगा कर शुद्ध घी का जो उद्योग है उसको पूरी सहायता देंगे। धन्यवाद।

SHRI A. M. THOMAS: Mr. Deputy Chairman, I am glad to find that there has been an excellent debate on this vexed problem. I also notice that the Bill of my hon. friend, Shri Jugal Kishore, has secured considerable support in this House. But many of the points that were raised by the hon.

[Shri A. M. Thomas.]

Members who spoke in support of the Bill have, if I may say so, been effectively answered by the speeches of hon. Members, Messrs. Dave, Basu, Patil and Kurre. Sir, as hon. Members know, this subject is not one which has come up for the first time as far as this House is concerned. We had a Resolution which was discussed as late as the 27th November, 1959 and also on 11th December 1959 and which was on the lines of the present Bill that is under discussion. Then the Government took the stand that it was not opposed in principle to the colorisation of Vanaspati and that it would itself take necessary steps to make such colorisation compulsory as soon as a suitable colour had been found. That Resolution was opposed by the Government and it was withdrawn on the 11th December, 1959. The same position as applied on that day still holds good now and I regret to say that I have to oppose the present Bill also

SHRI SONUSING DHANSING PATIL: Who was the mover of that Resolution?

SHRI A. M. THOMAS: It was Shri Panigrahi and the sponsor of this Bill also participated in that debate and put forward the very same arguments that he has presented before the House in moving this Bill to-day for the consideration of this House. Sir, the object of the

4 P.M. Bill as has been pointed out, is to prohibit the manufacture of vanaspati without the addition of a suitable harmless colour as can be readily detected by the naked eye if and when product is mixed with ghee. It has been pointed out by some hon. Members who participated in the debate that the Bill does not seek the banning of the manufacture of vanaspati but, as has been pointed out by Shri Dave, having regard to the unsuccessful attempts so far made in finding a suitable colour, the acceptance of the Bill will virtually be tantamount to banning the manufacture of vanaspati. We have to decide whether we should go to that extent. If it is necessary on the basis of the health of the nation, it has necessarily to be done. The Bill has been supported mainly on the basis that vanaspati is being used as an important adulterant of ghee and a person who wants to purchase ghee must get pure ghee and not adulterated ghee. Sir, I have already stated that the Government is in sympathy with the Bill. The evil of adulteration is very widespread and I am even prepared to concede that it is a menace to the society but, at the same time, I would like the House to appreciate the steps that Government have taken so far and also to understand how Government have handled this question. My friend, Shri Deokinandan Narayan, said that this question has been before the Government for the last twelve years and that the peoples' Government has not been able to find a suitable remedy for this evil. Sir, in order that the debate may be self-contained, I am just bringing forward again before the House the various stages that the investigation of the problem has gone through.

The Ghee Adulteration Committee appointed in 1951 for suggesting measures to eliminate or minimise adulteration of ghee with vanaspati had made the following recommendations to this end: The principal recommendation was that in order to facilitate the detection of vanaspati in ghee, Government should ensure by law that every batch of vanaspati produced in a factory should be certified that it gives the Baudouin Test. The second recommendation was that as the Baudouin Test cannot be used for detection of adulterated ghee by the ordinary consumer who has no laboratory facilities, all vanaspati produced in the country should be coloured orange by using carotene oil concentrate. These were the two recommendations and on the basis of the first recommendation which was accepted by Government, we have taken certain steps. We have taken the precaution to see that all vanaspati factories maintain with effect

from the year 1953 a record of the Baudouin Test of each batch of vanaspati produced and that each batch is certified by the factory chemist that the same conforms to the required Baudouin Test. We have also set up a laboratory in the Directorate of Sugar and Vanaspati for the analysis of samples received from different parts of the country. Specifications have been prescribed for vanaspati under Prevention of Food Adulteration Act as well, and the Food Inspectors of the State Governments are required to check the vanaspati sold in the markets for conformity with the prescribed specifications. The addition of any colour or flavour to vanaspati resembling that of ghee has been prohibited. The use of oil like coconut oil, whose presence in vanaspati is likely to render its detection in ghee difficult, has also been prohibited. These are some of the steps which Government have taken in pursuance of the recommendations of the Ghee Adulteration Committee.

With regard to the other recommendation, it was not accepted by Government because as the colour imparted by carotene oil concentrate to vanaspati is of an unstable nature and disappears when vanaspati is heated or is kept even without heating for some months. It has, therefore, been considered necessary to wait for the results of the various experiments which are being carried on for finding out a more suitable colouring medium for vanaspati. This is the situation as far as the recommendation of the Ghee Adulteration Committee is concerned.

To show that the Ministry has not been sitting idle and was alive to the problem, I am just giving an idea of some of the steps that were taken in this connection. On the 12th March 1955; the Minister convened a conference of scientific experts from all parts of the country, representatives of the industry and others to explore the possibility of finding a suitable colour for vanaspati. The considered opinion of the conference was that so far there was no suitable colour which could be used for colouring vanaspati. The Minister, however, asked the scientists to continue their efforts in the direction of finding a suitable colour for the purpose. So far, the experiments carried out at the various scientific institutions in India in this respect have not yielded satisfactory results. Coaltar dyes—hon. Members who supported this Bill should please note this—as a class are considered neither safe nor suitable colouring agents—for foodstuffs, particularly for a cooking medium like vanaspati because these substances have a tendency to decompose on heating into toxic amines and may even be carcinogenic. Colours of vegetable origin obtained from ratanjot, chlorophyll, curcumin, manjeeth, etc., are either unstable to heat or can be easily removed by absorbents and will, therefore, not serve the desired purpose because unscrupulous persons will still be able to cheat the public by removing such a colour and then using the product for adulteration. For the present, there appears to be nothing better than the latent colourisation by sesame oil, which is already being done. Further researches are, however, being carried out in the various laboratories in the country.

Sir, after the last discussion in this House, there was a meeting convened of those connected with researches for finding a suitable colour for vanaspati. That meeting was held on the 8th March, 1960, and I have got the minutes here with me. It was pointed out by several scientists and experts connected with this work—in fact they themselves admitted defeat in their experiments—that they have not so far been able to find a suitable colour and even an opinion was expressed that since no proper or visible colour could be found, the experiments would have to be abandoned. The Ministry was not prepared to agree with that suggestion. These scientists and experts met again under the Chairmanship of Shri Shriman Narayan, Member of the Planning Commission, who took considerable interest in this mat-

[Shri A. M. Thomas.]
ter and during the course of the proceedings of the meeting under his Chairmanship the following suggestions were made:

(i) Research work for finding a suitable colour should be intensified and should be co-ordinated by a Committee of technical experts which should be set up for the purpose.

(ii) If no visible colour can be found then the question of the best latent colour may be further examined.

(iii) Efforts should be made to ensure that ghee is sold in AGMARK labels as far as possible.

(iv) The administration of the Prevention of Food Adulteration Act should be tightened up further with a view to stepping up the sampling and analysis of ghee sold in the markets and award of deterrent punishment to those who are found guilty.

These suggestions made at that meeting under the Chairmanship of Shri Shriman Narayan, Member, Planning Commission, who is in charge of food and agriculture in the Commission, are being acted upon by the Ministry and we are proposing to set up a Committee of technical experts as has been suggested by this meeting for research work for finding a suitable colour to be intensified and for the coordination of the results. Sir, I took some time to explain to this House these steps that have been taken by the Government in order to dispel the impression that the Government in spite of the facts that it has accepted in principle the necessity of using a colouring agent in the manufacture of vanaspati is not doing anything in the matter.

I would also deal with certain other aspects that have come up in the debate. When we consider this question, we have also to bear in mind that this very same Committee, namely, the Ghee Adulteration Committee which suggested the colourisation of vanaspati has itself laid down certain conditions which have to be satisfied. The conditions are that the colour should be easily soluble in vanaspati; the vanaspati thus colourised should be pleasing to the eye. As has been suggested at that meeting to which I have made a reference just now, we are prepared even to relax some of these conditions that have been laid down provided the result would be something which is not harmful to the health. The other conditions are:

The quantity of the colour required should be small.

The addition of the colour should not cause a change in the taste or flavour of vanaspati.

The colour should be cheap and easily available in quantity sufficient for the whole annual production of vanaspati.

The colour should be fast and should not be capable of easy removal by chemical or physical methods.

The Colour should be heat-stable and should not decompose at the frying temperature.

The colour should be non-toxic when consumed over a period of time and should exert no cumulative effect.

With regard to these conditions the view of some of the experts who attended that meeting was that you would not be able to find a suitable colour satisfying all these conditions because the adoption of vegetable colour means that it would not be lasting and the adoption of coal tar dyes would be definitely injurious to the health of those persons who consume this vanaspati. So according to the experts there is an apparent contradiction in some of the condition which they have laid down.

With regard to the question of adulteration it has been pointed out by some Members—that has been our ex-

perience also—that it will not be correct to presume that the banning of vanaspati would automatically stop or minimise the adulteration of ghee. The hon. Shri Santosa Kumar Basu referred to the use of animal fats, even of dead animals, on an extensive scale in the city of Calcutta and the suburbs. Before vanaspati was introduced into India ghee used to be adulterated with tallow, lard, grease and with crude and impure vegetable oils so that here at least we have the guarantee that vanaspati which is prepared under hygienic conditions will only be used for adulteration.

SHRI BHUPESH GUPTA: How do you know that the other things will not be used?

SHRI A. M. THOMAS: It has also been stated in the course of the debate that vegetable oil contains vitamins and that all the vitamins in the oil are destroyed by the hydrogenation process. It is not correct. Vegetable oils do not contain vitamins and hence there is no question of their destruction during the manufacture of vanaspati. Actually vanaspati contains added vitamin A of the same potency as found in cow's ghee, because we have made it compulsory that vitamin A should be added in the manufacture of vanaspati. It may be appreciated that vanaspati is being consumed not only in India but in other countries also and this aspect has been mentioned by me the other day. Hydrogenated vegetable oil is used as a cooking medium all over the world both in the West and in the East, although it is known under different names. In India we call it vanaspati while in the West they call it shortening or margarine. However, while shortening is exactly the same as vanaspati, margarine is a butter substitute and like butter is an emulsion of 80 per cent. of hydrogenated fat and 20 per cent. of ripened milk or water. I do not want to take up the time of the House by giving statistical information about its consumption in other countries which will indicate that other countries also consume this on a large scale.

Sir, another question which has been raised is whether it is desirable to allow the continuance of the manufacture of vanaspati and whether it should not be banned. My friend, Shri Basappa Shetty, powerfully pleaded for the banning of vanaspati. With regard to this question, I may have to place before the House certain expert opinions which have been obtained by my Ministry as well as by the Health Ministry. In fact there were certain results published in 1947 of certain researches conducted at the Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar and I am sorry I found Shri Jugal Kishore, in spite of the fact that on the last day I said that those results which have been published were not found to be correction further experiments, today referred to the same results again. The said results showed that feeding of vanaspati to rats affected their fertility and also caused night blindness. As the findings at Izatnagar were contrary to the existing knowledge in this regard, detailed researches were arranged again at the Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar and at the Nutrition Research Laboratories, Coonoor and also at institutions like the Indian Dairy Research Institute, Bangalore, the Indian Institute of Science, Bangalore and the University College of Science and Technology, Calcutta. These researches, which included feeding experiments with poor rice diets carried out on rats as well as on human subjects at different centres of research, have shown that vanaspati of melting point 37°C has no deleterious effect as Compared with raw and refined groundnut oil. It appeared, however, that vanaspati of melting point 41°C, as generally produced in those days, was absorbed to a lesser extent than raw groundnut oil and that it might have an adverse effect on calcium utilisation. Following the said findings, the melting point of all vanaspati produced for consumption in the country has been statutorily limited to 37°C,

[Shri A. M. Thomas.]
Fresh doubts associating consumption of vanaspati with heart disease have recently arisen following the publication of certain researches in foreign journals which seemed to indicate that the feeding of animal fats like butter and hydrogenated vegetable oils, both of which are lacking in essential fatty acids, may result in increased levels of lipides in the blood serum which may in turn be associated with increased susceptibility to atheroscelerosis and perhaps to coronary heart disease. In fact this point was mentioned by many Members who participated in the debate. Sir, a joint meeting of the Nutrition Advisory Committee and the Cardiovascular Diseases and Hypertension Sub-Committee of the Indian Council of Medical Research held at Calcutta on the 9th July 1959 after discussing all available evidence on the subject came to the following conclusions:

"(i) There is no definite evidence that the consumption of hydrogenated vegetable oil leads to the development of coronary heart disease. There is, however, evidence pointing to the fact that excessive consumption of fats rich in saturated fatty acids, *e.g.*, hydrogenated vegetable oil, butter, ghee and coconut oil, as opposed to fats rich in polyunsaturated fatty acids, *e.g.* gingelly (sesame) oil, groundnut oil, safflower oil and mustard oil, leads to increase in serum cholesterol levels—which in turn have been found to be associated with increased incidence of coronary heart disease.

(ii) There are still many gaps in our present knowledge in regard to the pathogenesis of coronary heart disease and a definite conclusion in this regard can only be arrived at after these gaps are filled by continued work in the laboratories in India and abroad."

Recently on the 9th April, there was a question in the Lok Sabha concerning this subject. The question was in the following terms:

"(a) whether Government have arrived at a definite conclusion regarding the effects of hydrogenated oils on the consumers; and

(b) if so, the details of the conclusion arrived at?"

This question was put to the Health Minister and he answered:

"(a) No definite conclusions have yet been arrived at.

(b) Does not arise."

That is the position now.

I may also say that experiments have been carried out in the Nutrition Research Laboratories, Coonoor, with a view to study the effects of hydrogenated vegetable fat on the serum cholesterol levels and on the blood vessels of monkeys and to compare these effects with those observed by feeding these animals other fats like butter, groundnut oil, sesame oil, nigerseed oil, corn oil, etc. These studies were carried out for periods extending to over one year. In these studies—it is very important—it was noted that hydrogenated vegetable fats, butter and coconut oil tended to raise serum cholesterol levels appreciably. It was, however, noted that the serum cholesterol concentrations, after having attained a high level within two months after the starting of feeding of these fats remained stationary at nearly the same high level throughout the period of the experiment. Thus it was noted that the effects of fats like hydrogenated vegetable fats, butter and coconut oil on serum cholesterol levels were not progressive. But on the other hand, the increase in serum cholesterol concentration brought about by these fats within the first two months was maintained on the same high level throughout the period of the experiment. When the animals were sacrificed at the end of the experiment it was found that none of the animals showed any evidence of arterial changes irrespective of the type of fat which they were consuming, thereby indicating either (a) that the level of serum

cholesterol obtained by the feeding of hydrogenated vegetable fat in this particular experiment was not sufficiently high to produce arterial changes or (b) mere feeding of high fat diet alone cannot produce atheroscelerosis but that other super-added factors are probably necessary. So, this is what the latest experiments also indicate. You will find in America, for example, the Food and Drugs Administration of the U.S. Government issued a notification dated 7th December, 1959, in which it has said:

> "The role of cholesterol in heart and artery diseases has not been established. A casual relationship between blood cholesterol levels and these diseases has not been proved. The advisability of making extensive changes in the nature of the dietary fat intake of the people of this country has not been demonstrated."

It will thus be clear that as of this date it is far too early to form a definite conclusion as to whether or not consumption of hydrogenated vegetable oils is really associated with coronary heart disease. Further, that in so far as being responsible for susceptibility to increased serum cholesterol levels is concerned, hydrogenated vegetable oil shares this deficiency with other commonly used food fats like butter, ghee and coconut oil. So, ghee also partakes of the same evil as hydrogenated oil. If for this reason alone, the production and consumption of hydrogenated vegetable oils is considered undesirable and should be banned, then we would be inconsistent if at the same time we do not ban the production and consumption of butter, ghee and coconut oil. Although hydrogenated vegetable oils are being consumed in various countries including the U.S.A., where so much research on this subject has been and is being carried out, no country has banned the production of these oils. This is with regard to banning the manufature of vanaspati.

SHRI GOPIKRISHNA VIJAIVARGIYA: So, other countries are also for hydrogenation.

SHRI A. M. THOMAS: Yes. Then, the question was raised: What effect this would have on the dairy industry in this country? It is worthwhile to note that the availability of edible fats and oils in the country at present is, according to the estimated figures:—

		Lakh tons
(i) Ghee and butter	...	5.05
(ii) Vanaspati	...	3.20
(iii) Edible vegetable oils	...	12.60
TOTAL		20·85

The total quantity of edible fats and oils available in the country is just sufficient to provide a *per capita* consumption of ½ oz. per day of fat as against the minimum normal requirements of 2 ozs. according to experts. There is, therefore, plenty of scope for both vanaspati and ghee industries to flourish side by side and to expand and develop without impinging on each other's interests. Vanaspati fills the demand for a hard fat particularly among the middle classes who are unable to afford the high price of ghee. Vanaspati usually costs between half and one third as much as ghee, the current rates being about Rs. 2·75 and Rs. 6·00 per seer respectively. So, it suits the pockets of different income groups and it may not be advisable to ban the manufacture of vanaspati. So, that is the position.

So far as the Government is concerned, it has got an open mind in the matter. If it is convinced that it is definitely harmful to the health of the nation, of course no other consideration will come in its way, for example, financial considerations such as wastage of about Rs. 25 crores invested in this industry. Or, for that matter, it may affect the employment position and several thousands of people may be thrown out of employment. Also, it was pointed out by the hon. Shri Dayaldas Kurre that if we

[Shri A. M. Thomas.]
ban the manufacture of vanaspati, that will have an adverse effect on the agricultural economy of the country, because the price of oilseeds will suddenly come down. In spite of these facts, if the Government is convinced of the evil effects of vanaspati, it will not hesitate to take suitable action. But I must admit that so far there are no indications to the effect that it is harmful to the health of the nation.

Sir, I oppose this Bill and I trust that the hon. Member will, in view of the fact that the Government is still seriously engaged in the task of finding a suitable colouring agent, be persuaded to withdraw this Bill. Thank you.

श्री जुगल किशोर : माननीय उपसभापति जी, मैं अजीब ऊहापोह में हूं कि क्या करूं। सवाल यह है कि आज हम देहातों में और शहरों में जहां कहीं जाते हैं तो वहां यह आवाज़ उठाई जाती है कि कांग्रेस वाले अंग्रेजी राज्य के दिनों में वनस्पति घी में रंग देने के लिये बड़ा जोर देते थे लेकिन जब से आजादी मिली है तब से चुप हो गये। हमारे पास इसके सिवाय कोई जवाब नहीं था कि हम इसके सम्बन्ध में एक बिल हाउस में पेश करते ताकि लोगों को मालूम होता कि वाकई कांग्रेस वाले इस बात की कोशिश में हैं कि वनस्पति घी में रंग दिया जाना चाहिए।

हमारे बहुत से आनरेबल मेम्बरान ने मेरे इस बिल की ताईद की। उन्होंने कहा कि वनस्पति घी में रंग जरूर दिया जाना चाहिए और इसमें देर नहीं होनी चाहिए। कुछ भाइयों ने कुछ वजूहात की बिना पर यह शायद जाहिर किया कि प्रिंसपल, जिसकी बिना पर यह बिल पेश किया गया है, वह तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा कि बताया गया कि रंग नहीं मिलता या उसके ठोस चीज होने की वजह से पीपों में ले जाया जा सकता है और गरीबों के लिये असली घी मिलना मुश्किल है, इन वजूहात की बिना पर कुछ भाइयों ने दबे दिल से उसका विरोध भी किया। मैं हर एक भाई का जिन्होंने मेरे इस बिल के हक में राय दी और उन भाइयों का जिन्होंने कुछ विरोध प्रकट किया मशकूर हूं। लेकिन साथ ही यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज यह कहा जाता है कि हमारे भारतवर्ष में दूध नहीं मिलता। एक भाई ने कह दिया १७ सेर दूध में से एक सेर घी निकलता है, १७ रुपये का वह दूध हुआ और एक सेर घी मिला। ऐसी सूरत में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह हमारा भारतवर्ष वही मुल्क नहीं है कि जहां दूध की नदियां बहती थीं, लोग दूध बेचने को पाप समझते थे। आज क्यों यह कमी मालूम हो गई दूध की और घी की ? तो मैं कहूंगा कमी नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमारे मुल्क से, हिन्दुस्तान से, जो गायें और भैंसें अच्छी होती थीं वे आज देश में नहीं रहीं। मेरे इलाके पंजाब की तरफ जाइये, आज आपको १५ सेर दूध देने वाली भैंस नहीं मिलती, आठ सेर दूध देने वाली गाय नहीं मिलती। वे गायें और भैंसें कहां चली गईं ? आप अगर उस सड़क पर जो रोहतक से दिल्ली तक आती है देखें तो गाय और भैंसों के झुण्ड के झुण्ड चले आते हैं। वे कलकत्ता जाते हैं, बम्बई जाते हैं। मैं पूछता हूं यह किसका कसूर है ? क्या गवर्नमेंट का यह फर्ज नहीं है कि उन कैटल्स को जिनके जरिये से हमको दूध और घी मिलता है उनको बचाने की पर्वाह करे। लेकिन आज इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आज उसी तादाद में गाय और भैंसें देहात में मौजूद हों तो देहात वाला आज भी दूध बेचने के लिए तैयार नहीं है। वह दूध बेचना वैसे ही पाप समझता है। मैं जब देहात में जाता हूं तो वहां दूध की कटोरी मिलती है, चाय की प्यालियां नही मिलतीं। अगर उनसे कहें कि चाय लाओ तो वे कहते हैं कि चाय नहीं मिलेगी, दूध मिलेगा। दूध भी बगैर पैसे का मिलता है, मोल का नहीं मिलता। तो आज यह कहा जाता है कि दूध नहीं है इस वास्ते घी नहीं

पैदा होता है, इस वास्ते वनस्पति घी की जरूरत है । मैं कहूंगा यह बहम है । अब भी हमारे मुल्क में बहुत दूध है, घी है । थोड़ा सा उसमें प्रोत्साहन देने की जरूरत है ।

जैसा कि अभी कहा गया कि अगर हम बनस्पति घी की फैक्ट्रियां बन्द कर दें तो घी और भी ज्यादा कम मिलने लगेगा, घी की कीमत बढ़ जायेगी । उसके लिये सब से बड़ा माली तौर पर नुकसान पहुंचने का अन्देशा है, इस वास्ते इन फैक्टरियों को जारी रखा जा रहा है । लेकिन जैसा कि मेरी बहिन सावित्री देवी निगम ने कहा था, अगर आज हम इन कारखानेदारों को गवर्नमेंट्स की तरफ से भी हुक्म दे दें कि आप को छः महीने के अन्दर ऐसा कोई रंग तजवीज करना होगा, दरियाफ्त करना होगा जो कि इस बनस्पति घी में दिया जाय तो रंग तैयार हो जायेगा । मैं नहीं समझता कि फिर क्यों गवर्नमेंट की तरफ से हिचकिचाहट है । इस बात के लिये उन कारखानेदारों को जो कि बहुत फायदा उठाते हैं बनस्पति घी बना कर उनको क्यों नहीं मंजूर किया जाता कि वे कोई ऐसा रंग दरियाफ्त करें । यह कहना कि रंग के लिये कोशिश बहुत हो रही है लेकिन मिलता नहीं, मैं तो इस को एक टालने वाली बात समझता हूं,—सिर्फ एक लिप सिम्पेथी है जो कि जाहिर की जाती है उन लोगों के साथ, जो कि इस बनस्पति घी को रंग देने के हक में हैं ।

मैं कुछ ज्यादा न कह कर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों के साथ ज्यादा अरसे तक नहीं खेला जा सकता, उनको ज्यादा अर्से तक धोके में नहीं रखा जा सकता । मैं तो कहूंगा कि गवर्नमेंट के लिये हमारी कांग्रेस सरकार के लिये सबसे अच्छी बात यह है कि वह जल्द से जल्द कोई ऐसा रंग तजवीज करे जो कि बनस्पति घी में दिया जा सके ताकि लोग बनस्पति घी को असली घी में मिला कर न बेच सकें । मेरा मुद्दआ तो इस बिल के पेश करने से सिर्फ यह था कि जोड एल्टरशन बड़े पैमाने पर आज हो रहा है, वह न हो, लोगों को असली घी की बजाय नकली घी न मिले और उनकी सेहत पर बुरा असर न पड़े । इसकी वजह से पैसा भी ज्यादा खर्च करें और सेहत भी खराब हो । इसलिये मेरा मुद्दआ इस बिल को पेश करने से सिर्फ यह था कि एडल्टरेशन को रोका जाय । इस एडल्टरेशन को रोकने के लिये जैसा कि मेरी बहिन सावित्री देवी निगम ने कहा, अगर कारखानेदारों को मजबूर कर दिया जाय कि वे छः महीने के अन्दर कोई ऐसा रंग मालूम करके तजवीज करें तो जल्दी ही इस बारे में फैसला हो सकता है । मैं अर्ज करूंगा कि अभी सन् १९६२ आ रहा है । दो साल का अरसा बाकी है । फिर हम ने देहात में, शहरों में हर जगह वोटरों के पास जाना है । हम किस मुंह से दो बैलों की जोड़ी का सिम्बल लेकर उनके सामने जायेंगे जब हम गायों को, गऊओं को, नहीं बचा सकते, भैंसों को नहीं बचा सकते और शुद्ध घी पैदा करने की तजवीज करने के लिये बनस्पति घी में रंग नहीं दे सकते । इसलिये मैं और कुछ न कहते हुए सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज जनता यह पुकार रही है कि बनस्पति घी से जनता के स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान है, उनकी जेब से ज्यादा पैसा निकाला जाता है और उनके साथ धोका किया जाता है । जनता सरकार से कहती है कि हमको इस धोके से बचाया जाय । तो क्या सरकार का यह फर्ज नहीं है कि उस जनता, जिस जनता के आधार पर यह सरकार चल रही है उसकी बात को मान कर उस को धोखे से बचाये । आज उनकी जेबों से ज्यादा पैसा न लिया जाय और उन की सेहत का भी ख्याल रखा जाय ।

मै इन लफ्जों के साथ अर्ज करते हुए यह कहना चाहता हूं आनरेबल मिनिस्टर साहब से कि जहां वे इतनी कोशिश कर रहे हैं बनस्पति घी में रंग देने के लिये,वह इस

[श्री जुगल किशोर]

थोड़े से अरसे के अन्दर अगर वे चाहते हैं कि जनता की सहानुभूति अपने साथ रखें तो मैं समझता हूं कि छ: महीने का बड़ा अरसा है और उसके अन्दर जरूर इस बनस्पति घी में कोई रंग तजवीज करके दे दिया जायेगा ताकि जनता को तसल्ली हो जाये कि वाकई आज की सरकार जनता की आवाज सुनने के लिये तैयार है ।

मैं और ज्यादा कुछ न कहते हुए—चूंकि हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने यह यकीन दिलाया है कि बनस्पति घी में जल्द से जल्द रंग दिये जाने की कोशिश की जायेगी और यह कोशिश हो रही है, मैं भी समझता हूं कि कोशिश मुद्दत से चल रही है लेकिन और ज्यादा कोशिश की जरूरत है—मैं इन लफ्जों के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूं । अगर थोड़ा सा दिल लगा कर और दिलचस्पी लेकर इस काम को किया जाय तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं कि कोई रंग न मिले । आज की साइंस की दुनिया में यह कह देना कि रंग नहीं मिलता, कोई साधारण आदमी भी इसमें यकीन नहीं कर सकता है । अगर उस को यकीन दिलाना है तो मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करूंगा कि जल्द से जल्द इस बनस्पति घी में रंग देकर, जनता की सहानुभूति हासिल की जाये ।

इन लफ्जों के साथ चूंकि सरकार की तरफ से यकीन दिलाया गया है कि इस तरह का जल्दी कदम उठाया जायेगा, मैं हाउस से इजाजत चाहता हूं कि मुझे इस बिल को विदड्रा करने की इजाजत दे दी जाये ।

Sir, I beg leave to withdraw my Bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE CATHOLIC CHURCH PREMISES AND ECCLESIASTIC ORDER (RESTRICTION OF POLITICAL ACTIVITY) BILL, 1959.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, I beg to move:

"That the Bill to restrict the use of the Catholic Church for political purposes and the participation of Ecclesiastical personnel of the Catholic Church in political activity be taken into consideration."

At the very outset . . . .

SHRI K. SANTHANAM (Madras): On a point of order, Sir. I think this Bill is out of order because this Bill is plainly and blatantly unconstitutional.

SHRI BHUPESH GUPTA: The hon. Member knows that this is no point of order because constitutional points we do not discuss. In any case, an identical Bill has been introduced and discussed in the Lok Sabha.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him say what he has got to say.

SHRI K. SANTHANAM: A point of order can be raised at any stage. Under article 15 (1), the State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. If the Bill had been drafted to include all people, then there might have been no objection. But today according to the Bill, a Hindu priest can take part in political activities; Hindu temples can be used for political purposes. Only the Roman Catholic priests, only people belonging to the Roman Catholic religion and only the Roman Catholic premises could not be used. I think this is a plain contravention of article 15(1). If there were doubts about it, of course, I would not like the Presiding Officer—the Deputy Chairman—to decide a constitutional point; it would go to the court. But this House, having been set up under the Consti-